**Statement-II**

*Statewise cane crushed, sugar production and production of Molasses during the seasons 1992-93, 1993-94 and 1994-95*

(Figures in '000 tonnes)

| | CANE CRUSHED | | | SUGAR PRODUCED | | | PRODUCTION OF MOLASSES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *STATLE | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| Uttar Pradesh | 29578 | 28989 | 38310 | 2857 | 2715 | 3609 | 1363 | 1358 | 1841 |
| Bihar | 3494 | 2405 | 4307 | 327 | 221 | 394 | 143 | 97 | 205 |
| Assam | 97 | 62 | 83 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Punjab | 4351 | 3362 | 3505 | 409 | 311 | 319 | 194 | 154 | 155 |
| Haryana | 3446 | 3239 | 3727 | 345 | 308 | 343 | 138 | 133 | 160 |
| West Bengal | 55 | 63 | 95 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| Orissa | 360 | 277 | 538 | 33 | 24 | 44 | 17 | 13 | 26 |
| Madhya Pradesh | 603 | 395 | 732 | 60 | 37 | 70 | 29 | 18 | 34 |
| Rajasthan | 234 | 166 | 191 | 24 | 16 | 18 | 11 | 8 | 10 |
| Maharashtra | 29723 | 24671 | 45981 | 3360 | 2746 | 5025 | 1158 | 939 | 1857 |
| Gujarat | 6625 | 7442 | 6512 | 751 | 826 | 759 | 281 | 331 | 280 |
| Andhra Pradesh | 5304 | 6S55 | 9290 | 540 | 647 | 874 | 233 | 292 | 422 |
| Karnataka | 7980 | 7933 | 11893 | 848 | 831 | 1225 | 303 | 324 | 504 |
| Tamil Nadu | 10386 | 12103 | 21415 | 976 | 1085 | 1859 | 440 | 523 | 949 |
| Kerala | 78 | 32 | 132 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 |
| Pondichcrry | 482 | 408 | 710 | 45 | 37 | 62 | 21 | 18 | 31 |
| Nagaland | 37 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Goa | 138 | 85 | 166 | 13 | 8 | 16 | 7 | 4 | 7 |
| All India | 102971 | 98205 | 147598 | 10609 | 9824 | 14643 | 4350 | 4220 | 6496 |

**Statement-Ill**

*Estimated production of gur including khandsari in respect of available states for the seasons 1992-93 to 1994-95*

*(Lakh Tonnes)*

| Slate | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 59.15 | 61.40 | 56.43 |
| Karnataka | NA | 11.04 | 5.66 |
| Tamil Nadu | 10.77 | 13.20 | 10.31 |
| Andhra Pradesh | 6.17 | 6.20 | 5.69 |
| Punjab | 1.22 | 0.76 | 1.01 |
| Harvana | 2.29 | 2.38 | 2.41 |
| Assam | 1.26 | 1.14 | 1.24 |
| Bihar | 1.68 | 1.37 | 0.56 |
| Madhya Pradesh | 0.56 | 1.12 | 0.59 |
| Other States | 4.88 | 3.50 | 4.48 |
| All India | 98.62 | 102.88 | 98.38 |

P=Provisional
N.A.=Not Available

## स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के कर्मचारी संघ के नेताओं की याचिका

3466. श्री शिव चरण सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के कर्मचारी संघ के नेताओं ने कोई दण्ड मिलने से पूर्व ही करजन रोड, नई दिल्ली स्थित "सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" के कार्यालय में अपनी याचिका दाखिल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक दोषी पाए गए नेताओं के विरुद्ध किसी भी नियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है;

(ग) क्या ऐसे मामलों के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व कार्यालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा दोषी पाए गए नेताओं के विरुद्ध जांच जारी रखने के संबंध में निर्देश दिए जाने की संभावना है; यदि हां, तो कब तक?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर कर्मचारी संघ ने संघ के महासचिव श्री जी०सी० चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक कार्रवाई और स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के प्रबंधन द्वारा कथित अनुचित श्रम व्यवहार के संबंध में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली के समक्ष एक विवाद उठाया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में, किसी विवाचन अधिकारी अथवा किसी बोर्ड के समक्ष कोई विवाचन कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान अथवा किसी संराधन अधिकारी अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान कोई नियोक्ता, उस विवाद से संबद्ध किसी मामले को और ऐसे विवाद में संबंधित कामगार को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के लिए, ऐसी कार्यवाही को शुरू होने से ठीक पहले उन पर लागू सेवा शर्तों को परिवर्तित नहीं करेगा, ऐसे विवाद से संबंधित किसी कामगार को पदच्युति द्वारा अथवा अन्यथा सेवा मुक्त अथवा दण्डित नहीं करेगा, जब तक कि उस प्राधिकारी से लिखित रूप में स्पष्ट अनुमति प्राप्त न की जाए जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है।

(ग) और (घ) अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संराधन अधिकारी ने कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। प्रबंधन और संघ के बीच संराधन विफल हो चुका है और संराधन अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन यथा-अपेक्षित, केन्द्रीय सरकार को विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

**Re-Trained Child Employees in Bidi Sector by NGO**

3467. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any non-Governmental bodies re-trained children employed in the bidi sector;

(b) if so, the number of child labour thus removtd from the bidi sector;

(c) whether any state-wise figures are available for such child labour; and

(d) details of State-wise break-up?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Government have sanctioned 76 National Child Labour Projects to cover 1.5 lakh children in hazardous occupations including those working in bidi industry. Under this programme, children are withdrawn from work and diverted to the special schools wherein they are provided non-formal education, vocational training, mid-day meals, stipend etc. These projects have been sanctioned to the District Child Labour Project Societies who, in turn, are implementing them through various agencies including nongovernmental organisations. In addition, over 70,000 children are covered under the 1LO assisted International Programme for Elimination of Child Labour mainly through projects being implemented by NGOs.

(c) and (d) According to the Report on the Working and Living Conditions of workers in beedi industry in India published by the Labour Bureau, the incidence of child labour in Bidi Industry is 0.6% in Bihar, 2.6% in Orissa and 3.7% in West Bengal.

**देश में उपभोक्ता मंच**

3468. श्री एस० एस० सुरजेवाला:
श्री अजीत जोगी:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राज्य-वार कितने उपभोक्ता मंच (कंज्यूमर फोरम) गठित किये गये हैं;

(ख) जिला मंचों (फोरमों) को अब तक कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से राज्य-वार कितने मामलों/शिकायतों को निपटाया गया है;

(घ) इन मामलों को निपटाने में इन मंचों (फोरमों) के समक्ष आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) (राज्य वार) स्थापित